

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, बैतूल वृत्त बैतूल द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला बैतूल के अंतर्गत वनमंडल दक्षिण बैतूल के असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्र O.A. के ग्राम चौकी खसरा नं० 69/1, 83/1, 91/1 एवं 103/1 का रकबा 4.578 हे० एवं ग्राम रातामाटी के खसरा नं० 418, 515/1, 515/3 एवं 351/1 का रकबा 2.044 हे० कुल रकबा 6.622 हे० वनभूमि तथा राजस्व विभाग के अधिपत्य में ग्राम चौकी खसरा नं० 73 एवं 94 रकबा 0.320 तथा ग्राम रातामाटी खसरा नं० 416 रकबा 0.060 हे० कुल 0.380 हे० राजस्व वनभूमि, इस प्रकार कुल 7.002 हेक्टेयर वनभूमि प्रभुदाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि :- 16/11/2018

स्थान :- भोपाल


 (SUNIL AGRAWAL)
 I.F.S.
 Addl. Principal Conservator of forest
 (Land Management)
 Madhya Pradesh, Bhopal